न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 76/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. हरिसिंह पुत्र स्व. जोधसिंह जाति राजपूत निवासी प्रगति नगर तन रायपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

–अप्रार्थी

<u>आवेदन बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट</u>

उपस्थिति–

1. **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, वकील प्रार्थी ओर सें।**

<u>निर्णय</u> दिनांक – 23.10.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 444 रकबा 0.98 है0, ख0नं0 448/1 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 450/2 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 498 रकबा 2.57 है0 किता 4 कुल रकबा 3.89 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 411/3 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 445 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 446 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम प्रगति नगर पटवार हल्का लढाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त भूमियों में प्रार्थी खातेदार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी को बाल्यावस्था में हीरसिंह के नाम सें पुकारने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हीरसिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का नाम आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, आदि में हरिसिंह बदस्तूर अंकित चला आ रहा है। हीरसिंह व हरिसिंह एक ही व्यक्ति/प्रार्थी के नाम है। इस संबंध में ग्राम पंचायत लढाणा ने प्रमाण पत्र कमांक 120 दिनांक 22.08.2019 भी जारी किया गया है जिसमें हरिसिंह व हीरसिंह एक ही व्यक्ति के दोनों नाम होने की पुष्टि की गई है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अन्य दस्तावेजो सें भिन्न होने के कारण अपने हिस्से की खातेदारी भूमि को विकसित करने की

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है अतः राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर हीरसिंह के स्थान पर प्रार्थी का नाम हरिसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जावे। वादकारण वादी द्वारा अपनी कृषि भूमि पर बैंक सें ऋण लेने की कार्यवाही करने पर ऋण नहीं मिलने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है। अतः आवेदन बाबत दुरूस्ती पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 444 रकबा 0.98 है0, ख0नं0 448/1 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 450/2 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 498 रकबा 2.57 है0 किता 4 कुल रकबा 3.89 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 411/3 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 445 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 446 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम प्रगति नगर पटवार हल्का लढाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम हीरसिंह पुत्र जोधसिंह के स्थान पर हरिसिंह पुत्र जोधसिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जावे।

2. आवेदन पेश होने पर अनावेदक तहसीलदार दांतारामगढ को जरिये नोटिस तलब किया गया। आवेदन वर्णित भूमियों में सहखातेदार तथा प्रार्थी के सगे भाई गंगासिंह के बयानात लिये गये जिसमें गंगासिंह ने प्रार्थी का नाम संहवन सें राजस्व रिकॉर्ड में हरिसिंह के स्थान पर हीरसिंह दर्ज होना बताया तथा हीरसिंह के स्थान पर हरिसिंह दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के बयानात, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सभी तथ्यों सें संतुष्ट होने न्यायहित में **प्रार्थी/आवेदक का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम प्रगति नगर पटवार हल्का लढाणा तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 444**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

रकबा 0.98 है0, ख0नं0 448/1 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 450/2 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 498 रकबा 2.57 है0 किता 4 कुल रकबा 3.89 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 411/3 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 445 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 446 रकबा 0.33 है0 में खातेदार प्रार्थी का नाम हीरसिंह पुत्र जोधसिंह के स्थान पर हरिसिंह पुत्र जोधसिंह जाति राजपूत निवासी प्रगति नगर तन रायपुरा तह0 दांतारामगढ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner